

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ

स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ.11(118)/रापक/भण्डार/परिवहन/2017/ 352

दिनांक :- 7-7-17

परिवहन कार्य हेतु दर संविदा निविदा सूचना वर्ष 2017-18

विभाग में विभिन्न सामानों के परिवहन कार्यों के लिए एक वर्ष की दर संविदा हेतु निविदाएं, दोहरा लिफाफे पद्धति के तहत सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य होंगी। निविदा प्रपत्र शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय समय में दिनांक 11.07.2017 से 25.07.2017 तक रु0 200/- प्रति निविदा/प्रपत्र हेतु निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प0क0 विभाग, जयपुर के पक्ष में बैंकर चेक/डी0डी0/नकद जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएं दिनांक 26.07.2017 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन दिनांक 26.07.2017 को दोपहर 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर राशि रूपयों में	निविदा प्रपत्र बेचने की अंतिम तिथि
1	सामग्री परिवहन कार्य	रु0 9.00 लाख	18000.00	25.07.2017 तक कार्यालय समय में।

इच्छुक निविदादाता उक्त तिथियों के अनुसार अपना निविदा प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त निविदा सूचना वेबसाइट www.rajswasthaya.nic.in / www.dipronline.org या www.sppp.raj.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज0 जयपुर।
दिनांक :-

क्रमांक :- एफ.11(118)/रापक/भण्डार/परिवहन/2017/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक निदेशक परिवार कल्याण राजस्थान जयपुर
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी (प.क.) मुख्यालय।
3. भण्डार अधिकारी परिवार कल्याण मुख्यालय
4. प्रभारी, सर्वर रूम, को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को sppp पोर्टल पर एवं विभागीय बैकसाइट पर अपलोड करे।
5. गार्ड फाईल।

निदेशक (प0क0)

**Government of Rajasthan
National Health Mission
Directorate of Medical Health, Family Welfare, Raj-Jaipur
Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur – 302005**

Ph.No. 0141-2225587

No.F. ()/ FW/STORE(FW)/2017/

E-mail: caofw23@yahoo.in

Date:

BIDDING DOCUMENT



NIB NO. 2
(YEAR 2017-18)

DATED.....

THE RATE CONTRACT FOR TRANSPORTATION OF
MEDICINES EQUIPMENTS, FURNITURE AND OTHER
GOODS

निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

BID SUBMISSION LETTER

(Declaration Form cum Check List)

To,
Director(FW),
Directorate of Medical Health,
Family Welfare, Raj-Jaipur
Swasthya Bhawan,
C-Scheme, Jaipur – 302005

Subject:-Regarding Bid Submission for NIB-2

I/We..... (Name of Bidder) having our office at..... (Address of Bidder) do declare that I/We have read all the Terms & Condition of the tender floated by Director(FW), Directorate of Medical Health, Family Welfare, Raj-Jaipur for the Rate Contract for Supply of Goods for the R/C period 2017-18 and agree to abide by all the Terms & Conditions set forth therein. I/We declare that we are participating in this bid in the capacity of I/We enclose valid Registration Certificate of establishment. I/We further declare that the rates offered by us shall remain valid for the entire period of the bid and not supply the quoted items below the quoted rates to elsewhere. I/We enclosed the following documents as per details given below: -

S. No	Item	Particular
1	Bid security Detail	Page no.....
2	Self attested Photocopy of Audit Balance Sheet	
3	Average Annual turnover statement past 1 years certified by C.A.	Page no.....
4	Detail of Bidder	Page no.....
5	Registration Certificate of Business establishment.	Page no.....
6	Attested Copy PAN No. & VAT Clearance Certificate	Page no.....
7	Original Bid Terms & Condition uploaded on e-procurement portal.	Page no.....
8	Statement of Past Supplies and Performance.	Page no.....
9	Declaration regarding compliance of bid terms and conditions .	Page no.....
10	Memorandum of Appeal Under the Rajasthan Transparency in Public Procurement act, 2012	Page no.....

निदेशक (पक.)

11	Declaration by the Bidder Regarding Qualifications	Page no.....
12	Authorization of the Bidder by the Firm	Page no.....
13	Name, photograph & Specimen Signature of Designated Officer/ representative of the Bidder whom he authorized to make Correspondence with the Director(FW)	Page no.....
14	Technical Under Taking	Page no.....

Date

(Name) Signature of Bidder

with seal

Note: Please mention page number and sign before submitting the bid.


निदेशक (पक.)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राज., जयपुर

DISCLAIMER

The information contained in this bid document for proposed procurement or subsequently provided to the Bidder(s), in documentary or any other form by or on behalf of the Director (FW), Directorate of Medical Health, Family Welfare, Raj-Jaipur (Procuring Entity) or any of its employees or advisors, is provided to Bidder(s) on the terms and conditions set out in this bid and such other terms and conditions subject to which such information is provided to the Bidder.

Whilst the information in this bid has been prepared in good faith and contains general information in respect of the proposed procurement, the bid is not and does not purport to contain all the information which the Bidder may require.

Neither the Director(FW), Directorate of Medical Health, Family Welfare, Raj-Jaipur, nor any of its officers or employees, nor any of their advisers nor consultants accept any liability or responsibility for the accuracy, reasonableness or completeness of, or for any errors, omissions or misstatements, negligent or otherwise, relating to the proposed procurement, or makes any representation or warranty, express or implied, with respect to the information contained in this bid or on which this bid is based or with respect to any written or oral information made or to be made available to any of the recipients or their professional advisers and liability therefore is hereby expressly disclaimed.

This document is not an agreement and is not an offer or invitation by the Director(FW), Directorate of Medical Health, Family Welfare, Raj-Jaipur. (hereinafter referred to as "Procuring Entity") or its representatives to the prospective Bidders or any other person. The purpose of this bid document is to provide interested parties with information to assist the formulation of their Proposal/offer. The information contained in this bid document is selective and is subject to updating, expansion, revision, and amendment. Each recipient must conduct its own analysis of the information contained in this bid document or to connect any inaccuracies therein that may be in this bid document and is advised to carry out its own investigation into the proposed procurement, the legislative and regulatory regime which applies thereto and by and all matters pertinent to the proposed procurement and to seek its own professional advice on the legal, financial, regulatory and taxation consequences of entering into any agreement or arrangement relating to the proposed procurement.

This bid document includes certain statements, estimates and targets with respect to the procurement. Such statements, estimates and targets reflect various assumptions made by the management, officers, and employees of the procuring entity, (and the base information on which they are made) which may or may not prove to be correct. No representation or warranty is given as to the reasonableness of forecasts or the assumptions on which they may be based and nothing in this bid document is, or should be relied on as, a promise, representation, or warranty. Bid document and the information contained therein is meant only for those applying for this procurement, it may not be copied or distributed by the recipient to third parties, or used as information source by the Bidder or any other in any context, other than applying for this proposed procurement.

The Procuring Entity is, its employees and advisors make no representation or warranty and shall have no liability to any person, including any Bidder under any law, statute, rules or regulations or tort, principles of restitution or unjust enrichment or otherwise for any loss, damages, cost or expense which may arise from or be incurred or suffered on account of anything contained in this bid document or otherwise, including the accuracy, adequacy, correctness, completeness or reliability of the bid document and any assessment, assumption, statement or information contained therein or deemed to form part of this bid document or arising in any way for participation in this Bidding process.

The Procuring Entity also accepts no liability of any nature whether resulting from negligence or otherwise howsoever caused arising from reliance of any Bidder upon the statements contained in this bid document.

The Procuring Entity may in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information, assessment or assumptions contained in this bid document.

The issue of this bid document does not imply that the Procuring Entity is bound to select a bidder or to appoint the Selected Bidder or Bidder, as the case may be, for the procurement and the Procuring Entity reserves the right to reject all or any of the Bidders or Bids at any point of time without assigning any reason whatsoever.

The Bidder shall bear all its costs associated with or relating to the preparation and submission of its Bid including but not limited to preparation, copying, postage, delivery fees, expenses associated with any demonstrations or presentations which may be required by the Procuring Entity or any other costs incurred in connection with or relating to its Bid. All such costs and expenses will remain with the Bidder and the Procuring Entity shall not be liable in any manner whatsoever for the same or for any other costs or other expenses incurred by a Bidder in preparation or submission of the Bid, regardless of the conduct or outcome of the Bidding process.

Any information/documents including information/ documents pertaining to this bid or subsequently provided to Bidder and/or Selected Bidder AND information/documents relating to the Bidding process; the disclosure of which is prejudicial and/or detrimental to, or endangers, the implementation of the procurement is not subject to disclosure as public information/documents.



निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

Director (FW)
Directorate of Medical Health,
Family Welfare, Raj-Jaipur

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health, Family Welfare, Raj- Jaipur

Technical Bid Check List

S.N.	Particulars	Enclosed (Yes/NO)
1	Bidder should have one year experience in transportation work.	
2	Minimum average annual turnover in Transportbusiness should be Rs. 3 Lacs . The turnover statement duly certified and signed by Chartered Accountant will be submitted along with Bid;	
3	Bidder should submit audited balance-sheet.	
4	Attested Copy of PAN & service tax.	
5	Attested copy of Ragistration certificate issued by Competent Authority.	
6	Required Certificates/Licence/Documents should be complete and updated.	
7	Technical undertaking	
8	Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)	
9	Annexure-B (Statement of annual turnover)	
10	Annexure-C (Statement of Past supplies & performance)	
11	Annexure-D (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)	
12	Financial undertaking	
13	Registration Certificate of at least two goods-0transport Vehicles in their own name/firms name	
14	Details of the Bidder firm	
15	Bid Secuirty Detail	

निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Technical Bid

Details of Bidder

Notice No.....

Bid security :- Rs. 18,000/-

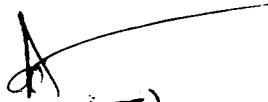
1.	Name of the Firm		
2.	Telephone No.	(Off.) _____	(Fax.) _____
3.	Mobile No. E mail ID		
4.	Office Address of the Firm		
5.	Constitution of the Firm whether/Proprietorship /Partnership/Company		
(a)	In case of Proprietorship Firm _____ _____		
	Name, Father's Name and Residential address of the Proprietor.		
(b)	In case of Partnership Firm _____ _____		
	Name, Father's Name and Residential address of all the partners. _____ _____		
	Note: (Enclose the Registration certificate of Firms and its attested copy/photocopy of Partnership Deed (attach separate sheet if space is insufficient).		
(c)	In case of Company		
(i)	Regd. No. of the Company		
(ii)	Name and address of the Directors of the company (Attach separate sheet, if space is		

	insufficient)		
6	BANK DETAILS OF BIDDER Banker's name with branch Account type Account number		
7	PAN No. of the Bidder (Enclose a certified copy of the same)		
8	Service Tax No. of the bidder, if applicable. (Enclose a certified copy of the same)		
9	Bid security of Rs. 18,000/- Deposited vide CR No. _____ dated _____ Pay order No. _____ dated _____ drawn on _____ (Name of Bank & branch)		
	*(To be filled in by the Office)		
	Signature of the bidder with seal		
	Name: -----		
	Designation -----		

* Attached Bid Security : Bidders Cheque/D.D./Challan Or Cash Receipt with Tech. Tender Bid.

*Attach separate sheet for details, where required.

*In case of authorized representative signing this document, enclose copy of the authority letter.


निदेशक (पक.)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा
 राज., जयपुर

कार्य की अनुमानित लागत: 9.00 लाख रुपये
निविदा बेचने की अंतिम तिथि: 25.07.2017 को कार्यालय सायं तक
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.07.2017 को 1.00 PM तक

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान जयपुर

दवाइयों एवं उपकरण, फर्नीचर तथा अन्य सामान आदि के परिवहन हेतु निविदा
(वर्ष 2017-18) एवं अनुबंध की शर्तें

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012"[hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules will prevail.

निविदादाता को निविदा में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तों को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।

1. निविदा, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द कर पूर्ण रूप से भरी गई निविदा के साथ निर्धारित राशि डी.डी./बैंकर चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे निदेशक (परिवार कल्याण) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ स्वास्थ्य भवन जयपुर के पते पर दिनांक 26.07.2017 को 1.00 pm बजे तक कार्यालय में जमा करा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. निविदादाता द्वारा निविदा दो रूपों में यथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करे तथा दोनों बन्द लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर जमा कराने होंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
3. तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ निविदा प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं रखे जायेंगे। निविदादाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी निविदादाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफे में दिया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 26.07.2017 को सायं 3.30 pm बजे उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए

निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।

(अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बीड खोली जायेगी।

(ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बीडर की ही वित्तीय बीड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बीड में सफल निविदादाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होगा।

5. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की रागरत निबन्धों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।

6. निविदादाता के पास परिवहन कार्य संबंधी कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

7. निविदादाता के पास स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम कम से कम दो माल वाहन होना आवश्यक है।

8. निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर 3 लाख रु. होना आवश्यक है।

9. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंकों के साथ साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।

10. निविदा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हेतु पंजीकृत एकल स्वामित्व, फर्म, कम्पनी, संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिये, इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदाकार के पास स्वयं के ट्रक अथवा फर्म के नाम से पंजीकृत ट्रक हो तथा निविदाकार का कार्यालय जयपुर में हो।

11. तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत किये जाने चाहियें

I निविदाता के सम्पूर्ण जानकारी प्रपत्र (Detail of bidder)

II. टर्न ओवर प्रमाण-पत्र एवं बैलेस शीट

III आय कर प्रमाण पत्र पैन कार्ड व जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

IV निविदादाता/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

V माल वाहक वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

VI प्रतिभूति राशि का विवरण

VII Technical undertaking

VIII Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)

IX Annexure-C (Statement of annual turnover)

X Annexure-D (Statement of Past supplies & performance)

XI Annexure-E (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)

XII Financial undertaking

12. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर आफ अटोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

निविदाकार कम्पनी/ सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

13. निविदा दाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा दे सकेगा।

14. दरें अनुबन्ध की तिथी से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। ये दरें एफ.ओ.आर. स्टोर होगी। दरों में स्थानीय एवं गन्तव्य स्थान का स्थानीय भाड़ा, ठेला भाड़ा, सरचार्ज एवं अन्य समस्त व्यय कर/टोल टैक्स आदि कोई हो, सभी सम्मिलित करके दरें दी जावे। परिवहन कार्य में काम आने वाले सभी साज सामान आदि की व्यवस्था निविदाकार करेगा निविदा में वर्णित दरों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किये जावेगा।

15. बोली प्रतिभूति (Bid Security):-

(1) दर संविदा, के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी

(2) बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।

(3) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

16. बोली प्रतिभूति का समपहृत (Forfeiture of Bid Security)

(1) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात् :-

- (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है ;
- (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;
- (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है ;
- (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ;
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

17. Price fall Clause :- दर संविदा के अधीन कीमतें कीमत गिरने का खण्ड के अधधीन होगी। यदि दर संविदा धारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किराई को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दरें संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान

अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोट दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवाहार नहीं किया जायेगा।

18. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):-

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, की बोली कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

19. भेजा जाने वाला सामान सुरक्षित एवं सही मात्रा में बताये गये जिला मुख्यालय, स्टोर पर भण्डारपाल द्वारा इण्डेन्ट काटने के 5 दिवस अथवा विभाग द्वारा आदेशित अवधि के अन्दर पहुँचाना होगा तथा सामग्री पहुँच का प्रमाण/रसीद 7 दिवस में निदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी। समस्त सामान निविदाकार/निविदाकार फर्म के पंजीकृत ट्रकों से ही भेजना होगा।

20. परिसमापित नुकसानी(Liquidated Damages):-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

- (1) (क)विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
 (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए; 5%
 (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5%
 (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए। 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करने समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

21. संबंधित कार्यालय जहां माल पहुँचाना है, वहाँ से 100 प्रतिशत माल सुरक्षित प्राप्ति की रसीद सक्षम अधिकारी/भण्डारपाल से मय प्राप्ति मोहर एवं दिनांक के प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान निदेशालय द्वारा ही किया जावेगा।

22. सामान जयपुर रेल्वे स्टेशन, विभागीय गोदाम एवं परिवार कल्याण भंडार सेटी कॉलोनी, हीराबाग या अन्य केन्द्रीय भण्डार आदि स्थानों से उठाना होगा। समस्त सामान निविदादाता की जोखिम पर भेजा जावेगा। गंतव्य स्थान पर यदि सामान कम पहुँचता है या बिल्कुल नहीं पहुँचता है, टूट फूट के पहुँचता है तो ऐसे सामान की पूर्ण कीमत मय 10 प्रतिशत दण्डात्मक राशि के निविदादाता से वसूल किया जावेगी। औषधी एवं अन्य ऐसी सामग्री जिसके अवधि पार होने की संभावना रहती है को आदेशित अवधि में ही पहुँचाना सुनिश्चित करें अन्यथा ऐसे मामले में निविदाकार फर्म से सामग्री की लागत की पूर्ण वसूली की जावेगी।

23. Mode fo Payment :- (1) भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल 3 प्रतियों में भिजवाना होगा तथा बिल पर संख्या मय जीएसटी नं0/Tin No. मुद्रित होना चाहिए।

निदेशक (क.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज., जयपुर

24. यदि सामान परिवहन में खराब कर दिया गया, पानी में भीगने दिया या पैकिंग तोड़ दी गई या ऐसी ही परिस्थितियों में नुकसान हुआ तो पूर्ण हर्जाना निविदादाता से वसूल किया जावेगा।
(अ) सामान के केन्द्रीय भण्डार में संभलाने के पश्चात् गन्तव्य स्थान तक रास्ते में किसी भी प्रकार की हानि के लिए परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी एवं क्षति की स्थिति में सामान की राशि परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगी। यदि फर्म चाहे तो माल का बीमा अपने स्वयं के खर्च पर करा सकती है।
- (ब) चूंकि विभाग का कीमती सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन हेतु निविदादाता को संभलाया जाता है। अतः निविदादाता को गारंटी के रूप में ₹0 2.00 लाख की बैंक गारंटी देनी होगी जो Performance Security के अतिरिक्त होगी।
(स) राजस्थान माल एवं सेवा कर एक्ट 2017 (एक्ट नं० 9 ऑफ 2017) का एवं जीएसटी नियम 2017 के अध्याधीन नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जावेगी।
25. विभाग के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
26. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
27. यदि निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर कार्य सम्पन्न कराया जावेगा। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्च एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्ज खर्च एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।
28. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरंत कर ली जावेगी। तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरंत राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमार्ग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।
29. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविदादाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
30. विवाद की स्थिति में निदेशक (प०क०) का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।
31. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पड़े तो दोनों पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेशन के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालयों में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं।
32. संविदा का समय संविदाकार एवं विभाग की आपसी सहमति से अधिकतम तीन माह तक बढ़ाया जा सकेगा।
33. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा शर्तें उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं RTPP ACT एवं Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होंगी।

निदेशक (प०क०)

विक्रिया एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर

34. बोलीदाता द्वारा पैन कार्ड की छाया प्रति एवं सर्विस टैक्स प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा से साथ पेश की जावेगी।

35. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण(Withdrawal, Substitution and Modification of bids):—बोलीलगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृतप्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरितलिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन याउपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेऔर इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से“प्रत्याहरण”, “प्रतिस्थापन” या “उपान्तरण”अंकित हो*; और

(ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिमसमय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्तकरने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्तकिया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डालदिया जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है,बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरणबोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहींकिया जायेगा।

36. वित्तीय बोलियोंमें अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार(Correction of arithmetic errors in financial bids):— बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी,;—

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावीहोगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

37. राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना:— उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।

38. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार:— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

39. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार(Right to vary quantity):—

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी -

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

40. यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

41. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन(Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award):—सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के

विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

42. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security):— सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :—

- (1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक;
- (2) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

43. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security):— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहन किया जा सकेगा।

- (1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (2) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (3) कार्य सम्पादन प्रतिभूतिको समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

44. करार का निष्पादन (Execution of agreement):—

- (1) सफल बोली लगाने वाले, को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।
- (2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
- (3) बोली लगाने वाले को, उसके खर्च पर, रु. 1000/- मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।


निदेशक (पक.)

विक्रित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

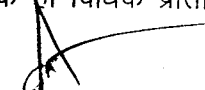
(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

45. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity):— उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,

- (1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (2) सूचना का ऐसा दुर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

46. हित का विरोध (Conflict of interest):—

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;


निदेशक (पक.)

मिकित्सा एवं स्तम्भ सेवाएँ

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

47. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:—अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

48. अपील का प्रारूप:—

(1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होंगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

49. अपील फाइल करने के लिए फीस:—

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

50. अपील के निपटारे की प्रक्रिया:—

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—


निदेशक (पक.)

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।


निदेशक (पक्षक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर,
दिनांक व पूर्ण पता मोहर सहित

प्रारूप सं. 1
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....
.....
..... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना :
.....

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर



निदेशक (पक.)

युक्तिता एवं स्नातक सेवाएं

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the transportation work at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid etc. and the instructions issued by the Director Medical & Health (F.W) from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid:

1. DD/BC/BG bearing No.Dt.....for Rs./- {.....} drawn on-on Bank toward Bid security.
2. Affidavit attested by a notary to that effect that the bidder has no past or present criminal record with the Policy/Vigilance of CS Deptt./Vigilance and enforcement Deptt., Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state/ Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the partners or representatives were never blacklisted the Central Government/ any State Government/any Union Territory/State Agency at time or convicted by Court of Law in a criminal case.
4. Copy of the partnership deed along with permanent and present address of the partners in case of a Firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/Limited Company.
6. Copy of the Registration certificate PAN/Service tax up to date.

I/We hereby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

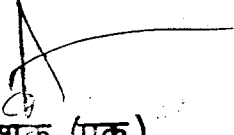
Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Address:


निदेशक (प्रक.)

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Annexure-A

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

in relation to my/our Bid submitted toFor
Transportation Workin response to their Notice Inviting Bids No.
.....Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan
Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Designation:

Address:


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

ANNEXURE-B

STATEMENT OF ANNUAL TURNOVER

The average annual turnover of M/s. _____ address _____ for the past one year is and certified that the statement is true and correct.

S. NO.	Financial Years	Turnover in Lacs (Rs)
1.	-	
2.	-	
3.	-	
Total		- Rs. _____ Lacs
Average turnover per annum		- Rs. _____ Lacs

Date:-

Place:-

Signature of Auditor/Seal

Chartered Accountant

(Name & Address)

Tel. No.

Mob. No.


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

ANNEXURE-C

STATEMENT OF PAST SUPPLIES AND PERFORMANCE

We..... (Name of firm) do hereby undertake that we have performed the transportation as per details given below:-

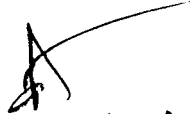
Calendar Year	Order Placed by [full address of puFWaser with telephone & Fax no.]	Order No. and Date	Date of Completion of delivery		Remarks indicating reasons for late delivery, if any	Has the work cantred satisfactory ?
			As per contract	Actual		
1	2	3	4	5	6	7
2014-15						

Note:-

1. It should be submitted with technical Bid.
2. The above information may be verified from relevant documents of bidder.

Date:-
Place:-

Signature of bidder with Seal
Name
Address


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Annexure-D

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME.....

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Conditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without any deviations whatsoever:

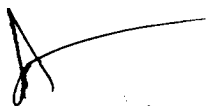
I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/ unethical means in including cartilization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Name of Bidder with Signature and Seal


निदेशक (पक.)
विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical Health Family Welfare, Raj- Jaipur

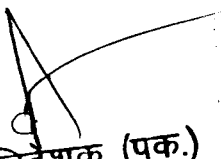
FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders Director of Medical & Health (F.W) Jaipur from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement. I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/ our Bid security stand forfeited if I/we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within seven (7) days of acceptance of my/our Bid and I/we will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER
NAME:
ADDRESS:


निदेशक (पक.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ
राज. जयपुर

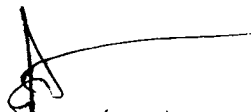
राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर
 क्रमांक :-एफ.11(118)/रापक/भण्डार/परिवहन/2017-18/ दिनांक :-

वित्तीय बीड

1. दवाईयों फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा
2. निविदा दाता का नाम :
- डाक का पूरा पता :
3. सम्बोधित : निदेशक (प.क.) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें राज. जयपुर।
4. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक : दिनांक
5. परिवहन किये जाने वाले सामानों की दरें निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	आइटम	दर प्रति नग (समस्त व्यय एवं कर सहित)	
		अंको में	शब्दों में
1	1 से 20किलो तक वजन के कार्टून/पेटिया/बण्डल एवं अन्य उपकरण/दवाईयां इत्यादि प्रति नग।		
2	20 किलो से अधिक के कार्टून पेटिया/बण्डल, बैड लेबर टेबिल, भारी मशीन एवं फर्नीचर एवं अन्य उपकरण प्रति नग		

6. दो श्रेणियों के लिये निविदादाता को अपनी दरें उक्त श्रेणियों के अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी। इन श्रेणियों के लिये प्रस्तुत दरों की तुलना एवं मूल्यांकन पृथक-पृथक किया जावेगा। जो भी निविदादाता एक विशेष श्रेणी में न्यूनतम होगा उसे उस श्रेणी के लिये अनुमोदित किया जायेगा।


निदेशक (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज., जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर व पता